

(3)

“लोक सेवा प्रबंधन विभाग में निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (iv) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश (Rules of Business)